न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर
कैम्प कोर्ट– ग्राम पंचायत टहटडा

पीठासीन अधिकारी श्री सोहनराम चौधरी आर.ए.एस.

वाद संख्या 1/132/14

अनुवान–सुकडा राम मीना पुत्र श्री धन्नालाल मीना निवासी ग्राम ईशवाना तहसीलरैणी– प्रार्थी
बनाम
तहसीलदार रैणी – अप्रार्थी

दावा इस्तकरारहक

निर्णय दिनांक 01.05.2018

Web Copy - Not Official

01.05.2018 :–आज यह पत्रावली लोक अदालत कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत टहटडा पर स्वप्रेरणा से वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि हाल आराजी खसरा नं0 197/0.25, 232/0.33, 240/0.05, 246/0.85, 628/0.95 वाके ग्राम ईशवाना तहसील रैणी मे स्थित है, जिसका प्रार्थी 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार है।यह है कि वादी का नाम सुकडाराम मीना पुत्र श्री धन्नालाल मीना निवासी ग्राम ईशवाना तहसीलरैणी है, परन्तु राजस्व रिर्काड में सुकडाराम के स्थान पर सुखराम गलत नाम दर्ज है, जो काबिल दुरूस्ती योग्य है, जिसकी पुष्टि मे राशन कार्ड, फोटो पहचान पत्र व अन्य राजस्व रिर्काड पेश किया है।

अन्त मे दावा वादी डिक्री किया जाकर आराजी विवादित उक्त वर्णित मे जो वादी 1/6 हिस्से के आराजी मे सुखराम पुत्र श्री धन्नालाल दर्ज कर रखा है, उसे दुरूस्त किया जाकर सुकडाराम मीना पुत्र धन्नालाल मीना दर्ज करने का निवेदन किया।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर वाद पत्र पर कैम्प कोर्ट टहटडा पर तहसीलदार रैणी व पटवारी हल्का बबेली से जांच रिर्पोट प्राप्त की गई। उनके द्वारा वाद वादी तथ्यों की सही होने की पुष्टि की तथा फोटो पहचान पत्र, राशन कार्ड व ग्रामवासीयान की जानकारी के अनुसार वादी का नाम सुखराम के स्थान पर सुकडाराम दुरूस्त किया जाना अपनी रिर्पोट मे उचित दर्शाया गया है।

मैन पत्रावली का अवलोकन किया तहसीलदार रैणी व पटवारी हल्का बबेली की रिर्पोट व वादी की और से प्रस्तुत दस्तावेज पहचान पत्र भारत निर्वाचन आयोग व राशन कार्ड का भी अवलोकन किया गया, तथा कैम्प के दौरान उपस्थित ग्रामवासीयान से भी जानकारी की गई। उक्तानुसार रिर्पोट तहसीलदार रैणी पटवारी हल्का बबेली से वाद वादी तथ्यों की पुष्टि होने सेवाद वादी काबिल डिक्री योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

दावा वादी इस्तकरारक हाल आराजी खसरा नं0 197/0.25, 232/0.33, 240/0.05, 246/0.85, 628/0.95 वाके ग्राम ईशवान तहसील रैणी डिक्री किया जाता है। हाल रिर्काड मे जो वादी का नाम सुखराम दर्ज है, को हजफ किया जाकर वादी का सही नाम सुकडाराम हाल रिर्काड मे दुरूस्त करने के आदेश तहसीलदार रैणी को दिये जाते है। वादी उक्तानुसार अपना नाम सुखराम के स्थान पर सुकडाराम हाल रिर्काड मे दुरूस्त कराने का अधिकारी है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री की जावें।

निर्णय आज दिनांक 01.05.2018 को मेरे द्वारा लोक अदालत कैम्प कोर्ट टहटडा तहसील रैणी पर सुनाया गया।

(सोहनराम चौधरी आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर
कैम्प कोर्ट– ग्राम पंचायत टहटडा